पत्रांक–05 / वृ०श०परि०(जुडको)–17 / 2025 / न०वि०आ० -47

झारखण्ड सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

(स्वीकृत्यादेश)

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं हक०),
पो०–हिनू, रांची।

द्वारा– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

रॉंची, दिनांक–27/07/26

विषयः–चाईबासा नगर परिषद, पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड में चाईबासा बस स्टैण्ड का निर्माण के निविदा का प्रकार EPC Mode से बदलकर Item Rate Contract में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः–राज्य योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक–25.06.2026 को सम्पन्न बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में चाईबासा नगर परिषद, पश्चिमी सिंहभूम, झारखण्ड में चाईबासा बस स्टैण्ड का निर्माण के निविदा का प्रकार EPC Mode से बदलकर Item Rate Contract में परिवर्तित करने की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक–02.03.2026 संपन्न बैठक में प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0–146 दिनांक–19.03.2026 द्वारा चाईबासा बस स्टैण्ड का निर्माण करने हेतु कुल रू० 22,53,21,200/–(बाईस करोड़ तिरेपन लाख इक्कीस हजार दो सौ रूपये) की योजना पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है।

3. तदालोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु कर्णांकित राशि 7,43,55,996/–(सात करोड़ तैंतालीस लाख पचपन हजार नौ सौ छियानवे रूपये) का विभागीय आवंटनादेश सं0–151 दिनांक–24.03.2026 द्वारा आवंटन प्रदान किया गया है।

4. विभागीय उक्त स्वीकृत्यादेश सं0–146 दिनांक–19.03.2026 की कंडिका–4 में योजना का क्रियान्वयन EPC Mode पर किये जाने का उल्लेख है।

5. सर्वश्री जुडको लि० का पत्रांक–1683 दिनांक–23.04.2026 के द्वारा उक्त योजना के निविदा का प्रकार EPC Mode से बदलकर Item Rate Contract में परिवर्तित किये जाने का प्रस्ताव विभाग को दिया गया।

6. उक्त के आलोक में पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश की शेष कंडिकाएँ/शर्तें यथावत् रखते हुए कंडिका–4 में अंकित मोड (निविदा का प्रकार) को परिमार्जित करते हुए Item Rate Contract Mode की जाती है।

7. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में निर्धारित नियमों एवं विनियमों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

435

9. योजना प्राधिकृत समिति की दिनांक–25.06.2026 को सम्पन्न बैठक में समिति द्वारा अनुशंसित उक्त प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

10. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

27-7-26

(सुनील कुमार)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–05 / वृ०श०परि०(जुडको)–17 / 2025 / न०वि०आ० –47**राँची, दिनांक–** 27/07/26

प्रतिलिपिः–माननीय विभागीय मंत्री के वरीय आप्त सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/संयुक्त सचिव, बजट शाखा, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त एवं उपायुक्त/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार/परियोजना निदेशक (तकनीकी/वित्त), जुडको लि०/कार्यपालक पदाधिकारी, चाईबासा नगर परिषद्/नोडल पदाधिकारी, ई–प्रोक्योमेन्ट, नगर विकास एवं आवास विभाग/श्री कुणाल विशेषज्ञ को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27-7-26

सरकार के प्रधान सचिव।